RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
04
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

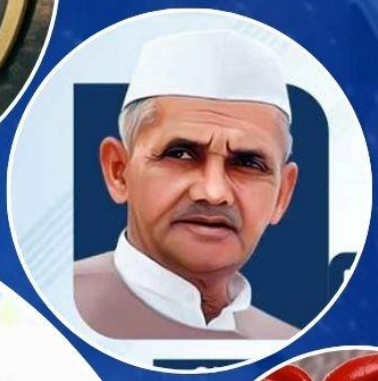

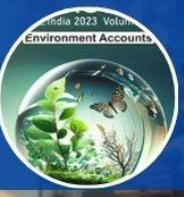

By Ankit Avasthi Sir

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार
Lal Bahadur Shastri National Award of Excellence

25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार - 2024 भारत के माननीय उपराष्ट्रपति **श्री जगदीप धनखड़** द्वारा **आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र** की अध्यक्ष **श्रीमती राजश्री बिड़ला** को प्रदान किया गया। यह सम्मान **1 अक्टूबर 2024** को **श्री लाल बहादुर शास्त्री** की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदान किया गया।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार :

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना **2000** में **लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एलबीएसआईएम), दिल्ली** द्वारा की गई थी, जिसे **लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशनल सोसाइटी** द्वारा बढ़ावा दिया गया था। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उच्च उपलब्धियों और उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।

पुरस्कार के उद्देश्य:

यह पुरस्कार **प्रबंधन, लोक प्रशासन, सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, संस्था निर्माण, कला, संस्कृति, और खेल** के क्षेत्रों में उच्चतम स्तर पर व्यक्तिगत योगदान के लिए दिया जाता है। यह उन भारतीयों को सम्मानित करता है जो भारत या विदेश में रहते हुए इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को हासिल करते हैं।

पुरस्कार की विशेषताएँ:

- ✓ पुरस्कार के विजेता को **पाँच लाख रुपये** की नकद राशि, **प्रशस्ति पत्र**, और **पट्टिका** दी जाती है।
- ✓ पुरस्कार विजेता का नाम **एलबीएसआईएम के सम्मान रोल** में दर्ज किया जाता है और उन्हें **लाल बहादुर शास्त्री फेलो** के रूप में नामित किया जाता है।

पुरस्कार प्रक्रिया:

- **नामांकन प्रक्रिया:**
  - जनवरी में, **11 सदस्यीय जूरी** का गठन किया जाता है, जिसमें **एलबीएसआईएम के अध्यक्ष** पदेन संयोजक होते हैं। प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं।
  - नामांकनकर्ता को नामांकित व्यक्ति के **काम का विवरण और आवश्यक दस्तावेज़** प्रस्तुत करने होते हैं। एक व्यक्ति केवल एक नामांकित व्यक्ति का नाम दे सकता है।
- **जूरी द्वारा चयन:**
  - दुनिया भर की **प्रमुख हस्तियों और संस्थानों को नामांकन** भेजने के लिए जूरी संयोजक पत्र भेजते हैं।
  - मार्च के अंत तक **नामांकन स्वीकार** किए जाते हैं, और फिर पहली जूरी बैठक में इन **नामांकनों की समीक्षा** की जाती है।
  - आवश्यक होने पर, **जूरी पुरस्कार विजेता** के चयन के लिए फिर से बैठक करती है। मई के अंत तक **चयन प्रक्रिया पूरी** कर ली जाती है।
- **पुरस्कार वितरण:**
  - पुरस्कार की घोषणा **मई के अंत** में की जाती है।
  - हर साल **1 अक्टूबर** को यह पुरस्कार **श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती** की पूर्व संध्या पर प्रदान किया जाता है।

लाल बहादुर शास्त्री : एक परिचय

लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के **दूसरे प्रधानमंत्री** थे और उनके नेतृत्व में देश ने महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। उनका जन्म **2 अक्टूबर 1904** को उत्तर प्रदेश के **मुगलसराय** में हुआ था।

प्रमुख योगदान:

- ☑ **जय जवान, जय किसान:** 1965 के **भारत-पाकिस्तान** युद्ध के दौरान शास्त्री जी का यह नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने देश के **सैनिकों और किसानों** की अहमियत को रेखांकित किया, जो उस समय के लिए बेहद प्रेरणादायक था।
- ☑ **हरित क्रांति**: शास्त्री जी ने देश में कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे **भारत को खाद्यान्न** उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद मिली। उनकी नीतियों के कारण भारत ने **कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण** प्रगति की।
- ☑ **1965 का भारत-पाक युद्ध:** शास्त्री जी ने इस युद्ध के दौरान **दृढ़ता और साहस** का परिचय दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने **पाकिस्तान को हराया और अंततः युद्धविराम** की दिशा में काम किया।
- ☑ **ताशकंद समझौता:** युद्ध के बाद, उन्होंने ताशकंद में समझौता किया, जिसे **"ताशकंद समझौता"** कहा जाता है। यह शांति वार्ता सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुई थी। दुर्भाग्यवश, **11 जनवरी 1966** को ताशकंद में ही उनका अचानक **निधन** हो गया।

व्यक्तित्व और विचारधारा:

लाल बहादुर **शास्त्री सरल, ईमानदार और जनता** के प्रति समर्पित नेता थे। उन्होंने हमेशा सादगी और कर्तव्यनिष्ठा को महत्व दिया। वे **महात्मा गांधी** के अनुयायी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

सबकी योजना, सबका विकास : अभियान / Sabki Yojana Sabka Vikas : Campaign (4S)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2024 को देशभर के ग्रामीण निवासियों और हितधारकों से अपील की है कि वे जन योजना अभियान - **'सबकी योजना, सबका विकास' (2024-25)** में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने पत्र में **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)** की तैयारी में उत्साही और प्रतिबद्ध भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।

Panchayat Development Plan
Sabki Yojana Sabka Vikas
Ministry of Panchayati Raj | Ministry of Rural Development

'सबकी योजना, सबका विकास' (2024-25):

- ✓ इस वर्ष, **'सबकी योजना, सबका विकास'** अभियान में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं, जिसमें **2 अक्टूबर 2024** को विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ मनाने की विशेष पहल भी शामिल है।
- ✓ ये ग्राम सभाएं **वित्तीय वर्ष 2025-26** के लिए **अपनी पंचायत विकास योजना (पीडीपी)** तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जिसमें **2.55 लाख** से अधिक ग्राम पंचायतें, **6,700 ब्लॉक पंचायतें** और **665 जिला पंचायतें** शामिल होंगी।

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन:

- **पंचायती राज मंत्रालय** के अधिकारियों और सलाहकारों को विभिन्न **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** में **चयनित ग्राम पंचायतों** में तैनात किया गया है।
- उनका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली पंचायत विकास योजनाओं को विकसित करने के लिए एक **सुव्यवस्थित, समावेशी और व्यवस्थित प्रक्रिया** सुनिश्चित करना है।
- ये विशेष ग्राम सभाएं नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, अपनी जरूरतें साझा करने और अपने क्षेत्रों की विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से योगदान देने का एक मंच प्रदान करेंगी।

जन योजना अभियान का महत्व:

- जन योजना अभियान भारत में **समावेशी और सहभागी** ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसका उद्देश्य योजना प्रक्रिया में ग्रामीण नागरिकों की **सक्रिय भागीदारी** को प्रोत्साहित करना है ताकि विकास योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सही रूप में प्रतिबिंबित कर सकें।
- इस पहल की सफलता के लिए **पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों** का समर्थन और सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

युवा प्रतिभाओं की भागीदारी:

- ☑ **आईआईटी दिल्ली** द्वारा समन्वित **उन्नत भारत अभियान (यूबीए)** इस वर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें **उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के 15,000** से अधिक छात्र जन योजना अभियान में शामिल होंगे।
- ☑ ये छात्र विशेष ग्राम सभा में भाग लेंगे और **विभिन्न ग्राम पंचायतों** में जीपीडीपी की तैयारी में सहायता करेंगे।
- ☑ इसके अलावा, युवा फेलो और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि जैसे **पिरामल फाउंडेशन, एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव (एबीसी)** और **ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)** भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

750 ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम:

- ✓ पंचायती राज मंत्रालय ने **2 अक्टूबर 2024** को देश भर में **750 ग्राम पंचायतों** में एक विशेष ग्राम सभा सह-दिशानिर्देश/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- ✓ इस आयोजन का उद्देश्य **पंचायती राज प्रणाली** को **मजबूत करना और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी** के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण करना है।

वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी:

- इस पहल का विशेष उद्देश्य ग्रामीण भारत के सतत विकास की दिशा में **बुजुर्गों और युवा** पीढ़ी दोनों को सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे पंचायतों के **भविष्य और सतत विकास** के लिए दृष्टिकोण को निर्देशित किया जा सके।

निष्कर्ष: इस पहल में **इंटरैक्टिव सत्र, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता और सामुदायिक प्रतिज्ञाएं** भी शामिल होंगी। यह कार्यक्रम शासन के प्रति एक अग्रगामी सोच वाले दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो परंपरा को महत्व देता है और सतत विकास एवं ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पंचायती राज मंत्रालय सभी **ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों और समुदायों** से इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान करता है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर **झारखंड** के **हज़ारीबाग़** से **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** की शुरुआत की। इस अभियान का कुल परिव्यय **79,156 करोड़ रुपये** है, जिसमें केंद्रीय हिस्सा **56,333 करोड़ रुपये** और राज्य का हिस्सा **22,823 करोड़ रुपये** है।

अभियान का उद्देश्य:

- ✓ यह अभियान **30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** के जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैला हुआ है, जो **549 जिलों** और **2,911 ब्लॉकों** में **5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों** को लाभान्वित करेगा।
- ✓ इसका उद्देश्य भारत सरकार के **17 मंत्रालयों** द्वारा कार्यान्वित **25 प्रयासों** के माध्यम से **सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आजीविका** में कमियों को दूर करना है।
- ✓ यह जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

योजना का विवरण:

- ✓ इस योजना को **18 सितंबर 2024** को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसका विकास **पीएम-जनमन** योजना के अनुभव और सफलताओं के आधार पर किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री ने **15 नवंबर 2023** को जनजातीय गौरव दिवस पर लॉन्च किया था।
- इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य विशेष रूप से **कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)** की आबादी पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान : **प्रधानमंत्री** ने **40 एकलव्य विद्यालयों** का उद्घाटन किया और **25 नए EMRS** की आधारशिला रखी। इनकी कुल लागत लगभग **2,834 करोड़ रुपये** है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के तहत **1,365 करोड़ रुपये** की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिसमें:

- **1,387 किलोमीटर सड़कें**
- **120 आंगनवाड़ी केंद्र**
- **250 बहुउद्देश्यीय केंद्र**
- **10 स्कूल छात्रावास** शामिल हैं।

EMRS की स्थापना:

- ☑ 40 नए EMRS के उद्घाटन के साथ, नई योजना के तहत कुल **74 नए EMRS** पूरे हो गए हैं।
- ☑ यह योजना **2018** में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जिसमें **440 एकलव्य स्कूलों** की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- ☑ इस योजना का उद्देश्य उन ब्लॉकों में EMRS स्थापित करना है जहां **50 प्रतिशत** या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या है।

शिक्षण और वित्तीय आंकड़े: पिछले 10 वर्षों में इन स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में **167 स्वीकृत स्कूल** थे, जो 2024-25 में बढ़कर **708** हो गए हैं। वर्तमान में, कुल **1,23,847** छात्र नामांकित हैं, जबकि प्रति छात्र की वार्षिक लागत **1,09,000 रुपये** है।

झारखंड में आदिवासी:

झारखंड भारत के उन राज्यों में से एक है, जहाँ जनजातीय आबादी का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की **32 प्रमुख जनजातियों** को **चार सांस्कृतिक प्रकारों** के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो उनकी **आजीविका, पारंपरिक पेशों और सांस्कृतिक विशेषताओं** के अनुसार विभाजित हैं।

झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण:

शिकारी-संग्राहक प्रकार:

- ✓ **जनजातियाँ: बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खारिया**
- ✓ **विशेषता:** ये जनजातियाँ पारंपरिक रूप से जंगलों में **शिकार और संग्राहन** करके जीवनयापन करती थीं। आधुनिक समय में इनके जीवन में काफी बदलाव आया है, लेकिन ये अब भी जंगल से जुड़ी आजीविका पर निर्भर रहती हैं।

स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजातियाँ:

- ✓ **जनजातियाँ: सौरिया पहाड़िया**
- ✓ **विशेषता:** ये जनजातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर **अस्थायी कृषि** करती हैं, जिसे झूम खेती के रूप में जाना जाता है। यह कृषि पद्धति पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है।

साधारण कारीगर:

- ✓ **जनजातियाँ: महली, लोहरा, करमाली, चिक बड़ाईक**
- ✓ **विशेषता:** इन जनजातियों के लोग पारंपरिक रूप से **कारीगरी और हस्तशिल्प** में निपुण होते हैं। महली जनजाति बाँस से वस्तुएं बनाती है, लोहरा लोहारी का काम करते हैं, जबकि **करमाली और चिक बड़ाईक काष्ठ शिल्प** और अन्य कारीगरी में विशेषज्ञ होते हैं।

बसे हुए कृषक:

- ✓ **जनजातियाँ: संथाल, मुंडा, उराँव, हो, भूमिज**
- ✓ **विशेषता:** ये जनजातियाँ कृषि के लिए **स्थायी रूप से गाँवों में बसी** हुई हैं। संथाल, मुंडा, उराँव और हो जैसी जनजातियाँ मुख्य रूप से **खेती-बाड़ी और पशुपालन** पर निर्भर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट जारी

International Labour Organisation (ILO) released Regional Collaboration Report for Asia and the Pacific

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने **एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट** जारी की है। यह रिपोर्ट **ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26: जलवायु कार्रवाई के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और न्यायोचित परिवर्तन** का पूरक है।

रिपोर्ट का उद्देश्य:

यह रिपोर्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक संरक्षण के प्रमुख विकास, चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालती है।

मुख्य निष्कर्ष:

- ✓ **सामाजिक सुरक्षा:** एशिया और प्रशांत क्षेत्र की **53.6%** आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आती है।
- ✓ **जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन:** भारत के **मनरेगा** जैसे सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम लोगों को उनकी आय और नौकरियों की रक्षा करके बदलती जलवायु के साथ तालमेल बिठाने और उसका सामना करने में मदद करते हैं।

भारत संबंधित निष्कर्ष:

- ✓ **सामाजिक सुरक्षा लाभ:** भारत की **48.8%** आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आती है।
- ✓ **व्यय:** सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य सहित) पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का **5.1%** है।
- ✓ **चुनौतियाँ:**
  - अनौपचारिक अर्थव्यवस्था
  - तेजी से बढ़ती जनसांख्यिकीय उम्र
  - वित्तीय अंतर
  - उभरती पर्यावरणीय चुनौतियाँ

रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें:

- **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना:** लचीलापन, जलवायु अनुकूलन और शमन बढ़ाने के लिए।
- **सभी प्रकार के रोजगार में लगे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज** प्रदान करना।
- **राजकोषीय स्थान बनाने के लिए** जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में सुधार करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना:** सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों की वितरण और प्रभावशीलता में सुधार के लिए।

भारत की पहल:

- ☑ **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005:** ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
- ☑ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:** लगभग 1.4 बिलियन लोगों में से दो-तिहाई लोगों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।
- ☑ **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** यह बुजुर्गों, विधवाओं आदि के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO):

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जो **सामाजिक न्याय और मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों** को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ILO का उद्देश्य ऐसे **कामकाजी माहौल का निर्माण** करना है, जो श्रमिकों और व्यापारियों को **स्थायी शांति, समृद्धि, और प्रगति** में योगदान का अवसर प्रदान करें।

स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- ☑ **स्थापना:** 1919 में **वर्साय की संधि** के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद ILO की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक शांति और स्थिरता सामाजिक न्याय पर आधारित हो।
- ☑ **संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी:** 1946 में ILO को संयुक्त राष्ट्र की **एक विशेष एजेंसी** का दर्जा मिला।
- ☑ **त्रिपक्षीय संरचना:** ILO की संरचना अद्वितीय है, क्योंकि इसमें **श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों** को समान रूप से भागीदारी का अवसर मिलता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रम संबंधित निर्णय सभी पक्षों के विचारों के साथ किए जाते हैं।

ILO के चार प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य:

- मानकों और अधिकारों को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसर बढ़ाना
- सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
- त्रिपक्षीयता और सामाजिक संवाद को मजबूत करना

मौद्रिक नीति समिति (MPC) / Monetary Policy Committee (MPC)

हाल ही में **भारत सरकार** ने **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)** की **मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC)** में **राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार** 3 तीन नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की हैं।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में:

स्थापना और उद्देश्य:

- ✓ **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** की स्थापना एक **नई मुद्रास्फीति-लक्ष्यित मौद्रिक नीति** रूपरेखा के संचालन के लिए की गई थी, जो कि सरकार और **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद हुई।
- ✓ यह समिति भा**रतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934** में **वित्त अधिनियम, 2016** द्वारा किए गए संशोधन के तहत स्थापित की गई है, जो कि MPC के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करती है।

संरचना:

- MPC में कुल **छह सदस्य** होते हैं:
  - **आरबीआई गवर्नर (अध्यक्ष)**
  - **मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई डिप्टी गवर्नर**
  - **आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी**
  - **भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अन्य सदस्य**
- बाहरी सदस्यों का कार्यकाल **चार वर्ष** होता है।
- बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होगा, जिसमें से कम से कम एक सदस्य **आरबीआई गवर्नर** होगा। यदि गवर्नर उपस्थित नहीं होते हैं, तो डिप्टी गवर्नर को कोरम में शामिल किया जाएगा।

कार्य और निर्णय प्रक्रिया:

- ☑ **MPC** का मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर रखने के लिए आवश्यक **रेपो दर** तय करना है।
- ☑ MPC की निर्णय प्रक्रिया बहुमत के आधार पर होती है। यदि मतों में समानता होती है, तो आरबीआई गवर्नर के पास **दूसरा या निर्णायक मत होता** है।
- ☑ **MPC** का निर्णय **आरबीआई** पर **बाध्यकारी** होता है।

सहायता और समर्थन:

- ☑ **आरबीआई** का **मौद्रिक नीति विभाग (MPD)** MPC को **मौद्रिक नीति तैयार** करने में सहायता करता है।

यह समिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) :

- ☑ **स्थापना :** भारतीय रिज़र्व बैंक की **स्थापना 1 अप्रैल, 1935** को **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
- ☑ **केंद्रीय कार्यालय:** रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में **कोलकाता** में स्थापित किया गया था, लेकिन **1937** में इसे स्थायी रूप से **मुंबई** स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां तैयार की जाती हैं।
- ☑ **स्वामित्व:** यह बैंक शुरू में निजी स्वामित्व में था, लेकिन **1949** में राष्ट्रीयकरण के बाद से यह पूर्णत: भारत सरकार के स्वामित्व में है।
- ☑ **कार्यालय:** भारतीय रिज़र्व बैंक के **33 स्थानों पर कार्यालय** हैं।

केंद्रीय बोर्ड:

- ✓ रिज़र्व बैंक के कामकाज का संचालन एक **केंद्रीय निदेशक मंडल** द्वारा किया जाता है।
- ✓ इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार की जाती है।
- ✓ **संविधान:**
  - **आधिकारिक निदेशक: पूर्णकालिक: गवर्नर और अधिकतम चार उप-गवर्नर।**
  - **गैर-आधिकारिक निदेशक:** सरकार द्वारा मनोनीत: विभिन्न क्षेत्रों से **दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी।**
  - **अन्य: चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से एक-एक।**

इकोमार्क नियम, 2024 / Ecomark Rules, 2024

हाल ही में **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा **इकोमार्क नियम, 2024** को अधिसूचित किया गया है। ये नियम पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक लेबलिंग प्रणाली स्थापित करते हैं, जो **खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और इलेक्ट्रॉनिक्स** जैसी श्रेणियों में लागू होते हैं।

मुख्य बिंदु:

- ✓ **LIFE सिद्धांत:** इकोमार्क लेबलिंग प्रणाली का उद्देश्य **LIFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)** के सिद्धांत के अनुरूप स्थिरता और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना है।
- ✓ **अनुदान मानदंड:**
  - उत्पाद को **भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम और/या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों** के तहत भारतीय मानकों के अनुरूप लाइसेंस या प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।
  - उत्पादों को उन नियमों में **निर्धारित मानदंडों** को पूरा करना होगा, जो **संसाधन उपभोग और पर्यावरणीय प्रभावों** के संबंध में निर्दिष्ट हैं।
- ✓ **आवेदन प्रक्रिया:** निर्माताओं को **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** के माध्यम से इकोमार्क के लिए आवेदन करना होगा।
- ✓ **मान्यता की अवधि:** इकोमार्क चिह्न **तीन वर्ष** के लिए वैध रहेगा।
- ✓ **निरीक्षण एवं कार्यान्वयन:** इसकी निगरानी और कार्यान्वयन **पर्यावरण सचिव** की अध्यक्षता वाली संचालन समिति द्वारा किया जाएगा।

महत्व:

- ☑ **उपभोक्ता जागरूकता:** यह उपभोक्ताओं को **सूचित खरीद निर्णय** लेने में सक्षम बनाता है, जिससे वे पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का चयन कर सकें।
- ☑ **उत्पादक प्रोत्साहन:** यह निर्माताओं को **पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों** के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे **चक्रीय अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा मिलता है।
- ☑ **भ्रामक जानकारी की रोकथाम:** यह उत्पादों के पर्यावरणीय पहलुओं पर भ्रामक जानकारी को रोकने में मदद करेगा, जिससे **कम ऊर्जा खपत, संसाधन दक्षता और संरक्षण** को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना:

- ✓ यह योजना **टिकाऊ वन प्रबंधन** और **कृषि वानिकी** को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रदान करती है।
- ✓ इसमें विभिन्न प्रमाणन शामिल हैं:
  - वन प्रबंधन प्रमाणन
  - वृक्ष प्रमाणन (वन प्रबंधन के बाहर)
  - कस्टडी प्रमाणन
- ✓ यह विभिन्न संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन प्रदान करता है जो जिम्मेदार वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं का पालन करते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत में **पर्यावरण और वानिकी नीतियों** के **विकास और कार्यान्वयन** के लिए एक प्रमुख नोडल एजेंसी है। यह मंत्रालय न केवल पर्यावरण संरक्षण और वनों के विकास की दिशा में कार्य करता है, बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रमों के अनुवर्ती कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है।

कार्य:

- ☑ **संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों का समन्वय:** यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम **(यूएनईपी),** दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम **(एसएसीईपी),** अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र **(आईसीआईएमओडी)** और पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन **(यूएनसीईडी)** के अनुवर्ती कार्यों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- ☑ **बहुपक्षीय और क्षेत्रीय निकायों के साथ समन्वय:** मंत्रालय को स्थायी विकास आयोग **(सीएसडी),** वैश्विक पर्यावरण सुविधा **(जीईएफ),** आर्थिक और सामाजिक परिषद **(ईएससीएपी),** और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन **(सार्क)** जैसे क्षेत्रीय निकायों से संबंधित मुद्दों का दायित्व सौंपा गया है।

उद्देश्य:

- वन और वन्य जीवन का संरक्षण और सर्वेक्षण करना।
- प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों को लागू करना।
- क्षीण क्षेत्रों का पुनर्जनन करना और वनरोपण को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)
Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 1 अक्टूबर, 2024 को अपना **आठवां वार्षिक दिवस** मनाया।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना **1 अक्टूबर 2016** को **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016** के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य **कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान** से संबंधित कानूनों का संचालन और निगरानी करना है। यह भारत में दिवाला प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है।

IBBI के उद्देश्य:

- **विनियामक भूमिका:** IBBI एक अनूठा नियामक है जो न केवल पेशेवरों बल्कि प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यह **दिवालियेपन पेशेवरों, दिवालियेपन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियेपन पेशेवर संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं** की निगरानी करता है।
- **प्रक्रियाओं का विनियमन:** संहिता के तहत **कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवालियापन समाधान और व्यक्तिगत दिवालियापन** के लिए नियमों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन करता है।
- **पेशे और संस्थानों का विकास:** दिवालियापन पेशेवरों, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, और सूचना उपयोगिताओं के **कामकाज और प्रथाओं के विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें विनियमित** करना।
- **मूल्यांकन पेशे का विनियमन:** IBBI को देश में मूल्यांकनकर्ताओं के पेशे के विनियमन और विकास के लिए **'प्राधिकरण'** के रूप में नामित किया गया है, जिसके लिए इसे **कंपनियों (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन नियम), 2017** के तहत जिम्मेदार बनाया गया है।

एनविस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण लेखा
Envistats India 2024: Environmental Accounting

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने **"एनविस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण लेखा"** का **7वां अंक** जारी किया है। यह रिपोर्ट **एनवीस्टेट्स (पर्यावरण सांख्यिकी)** के अंतर्गत है, जिसे **SEEA (पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली)** फ्रेमवर्क के अनुसार संकलित किया गया है।

एनविस्टेट्स का उद्देश्य:

एनविस्टेट्स भारत में पर्यावरण, समय के साथ होने वाले परिवर्तनों, और उन्हें प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह प्रकाशन चार प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है:

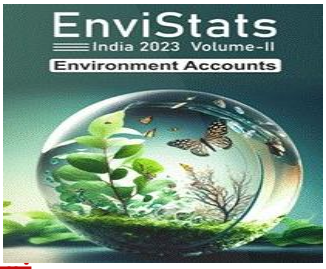

1. **ऊर्जा खाते**
2. **महासागर खाते**
3. **मृदा पोषक सूचकांक**
4. **जैव विविधता**

एनविस्टेट्स इंडिया 2024 की मुख्य विशेषताएं:

- ✓ **ऊर्जा परिवर्तन में भारत का नेतृत्व:** भारत ऊर्जा परिवर्तन में एक विश्व नेता के रूप में उभरा है।
- ✓ **संरक्षित क्षेत्रों की वृद्धि: 2000 से 2023** के बीच, कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में लगभग **72%** और **क्षेत्रफल** में लगभग **16%** की वृद्धि हुई।
- ✓ **मैंग्रोव कवरेज: 2013 से 2021** के दौरान मैंग्रोव का कवरेज लगभग **8%** बढ़ा है।

एनविस्टेट्स का महत्व:

- प्राकृतिक संसाधनों का **सतत प्रबंधन दीर्घकालिक विकास** की कुंजी है।
- यह पर्यावरणीय स्थिरता के साथ **आर्थिक विकास** को संतुलित करने में मदद करता है।
- यह समृद्धि और प्रगति को मापने के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराता है, जो **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** से आगे जाता है।
- डेटा-संचालित नीति-निर्माण को बढ़ावा देता है।

पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA):

SEEA पर्यावरण आर्थिक खातों के संकलन के लिए एक सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है, जो **अर्थव्यवस्था और पर्यावरण** के बीच अंत:क्रिया के साथ-साथ **पर्यावरणीय परिसंपत्तियों** के स्टॉक और उनके परिवर्तनों का वर्णन करता है। SEEA के दो प्रमुख पक्ष हैं:

- **SEEA-CF:** केंद्रीय ढांचा
- **SEEA-EA:** पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन

F&O जोखिम को कम करने के लिए SEBI के नए नियम
SEBI's new rules to reduce F&O risks

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के ढांचे को मजबूत करने के लिए छह नए उपाय लागू किए हैं। ये उपाय व्यापार वॉल्यूम में वृद्धि और संबंधित जोखिमों को देखते हुए हैं।

उपाय और उनके प्रभाव:

1. अनुबंध आकार का पुन: कैलिब्रेशन

- ✓ **परिवर्तन:** इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार को **₹15 लाख** कर दिया गया है, जो पहले **₹5-10 लाख** था। यह नियम **20 नवंबर, 2024** से लागू होगा।
- ✓ **प्रभाव:** अनुबंध आकार बढ़ाने से छोटे व्यापारियों की अटकलों को कम किया जा सकेगा। इससे **छोटे निवेशक, विशेषकर Tier 2 और Tier 3 शहरों** के, अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार कर सकते हैं, जिससे उनकी हानियाँ कम हो सकती हैं।

2. विकल्प प्रीमियम की अग्रिम वसूली:

- ✓ **परिवर्तन:** विकल्प खरीदने वालों से विकल्प प्रीमियम की **अग्रिम वसूली** अनिवार्य की गई है, जो ट्रेडिंग या क्लियरिंग सदस्य द्वारा की जाएगी। यह **नियम 1 फरवरी, 2025** से लागू होगा।
- ✓ **प्रभाव:** यह नियम **अनुपयुक्त अंतर्दिन उधारी** को रोकने के लिए है, जिससे निवेशक केवल पर्याप्त **संपार्श्विक के खिलाफ** ही स्थितियाँ ले सकें।

3. साप्ताहिक इंडेक्स डेरिवेटिव उत्पादों का समायोजन:

- ✓ **परिवर्तन:** प्रत्येक एक्सचेंज अब केवल एक **बेंचमार्क इंडेक्स** के लिए साप्ताहिक समाप्ति वाले **डेरिवेटिव अनुबंध** प्रदान करेगा, **जो 20 नवंबर, 2024** से प्रभावी होगा।
- ✓ **प्रभाव:** यह कदम समाप्ति के **दिन अटकलों** को सीमित करने के लिए है, जिससे बाजार की अस्थिरता को कम किया जा सके।

4. स्थिति सीमाओं की अंतर्दिन निगरानी:

- ✓ **परिवर्तन:** SEBI ने तय किया है कि एक्सचेंज अब अंतर्दिन स्थिति सीमाओं की निगरानी करेंगे, जो **1 अप्रैल, 2025 से** प्रभावी होगा।
- ✓ **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का पालन वास्तविक समय में किया जा सके, यह कदम लिया गया है, जिससे अटकलों की अधिकता को रोका जा सके।

5. समाप्ति दिन पर 'कैलेंडर स्प्रेड' उपचार को हटाना:

- ✓ **परिवर्तन:** समाप्ति दिन पर अनुबंधों के लिए **'कैलेंडर स्प्रेड'** का लाभ हटा दिया जाएगा, जो **1 फरवरी, 2025** से प्रभावी होगा।

6. समाप्ति दिन पर 'टेल रिस्क' कवरेज में वृद्धि:

- ✓ **परिवर्तन:** SEBI ने शॉर्ट ऑप्शंस अनुबंधों के लिए समाप्ति दिन पर अतिरिक्त **एक्सट्रीम लॉस मार्जिन (ELM)** का **2% अधिभार** लगाया है।

सिकल सेल रोग (SCD)
Sickle cell disease (SCD)

दवा कंपनी **फाइजर** ने हाल ही में घोषणा की है कि वह **सिकल सेल रोग** की अपनी चिकित्सा **ऑक्सब्राइटा** को विश्वभर के बाजारों से स्वेच्छा से वापस ले लेगी। यह निर्णय इस दवा के साथ **"घातक घटनाओं"** को जोड़ने वाले नैदानिक डेटा सामने आने के बाद लिया गया है।

सिकल सेल रोग (SCD) के बारे में:

- ✓ **परिभाषा:** सिकल सेल रोग एक **वंशानुगत रक्त विकार** है।
- ✓ **कारण:** यह दोषपूर्ण **हीमोग्लोबिन** द्वारा चिह्नित है। हीमोग्लोबिन वह अणु है जो **लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी)** में मौजूद होता है और ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है।

रक्त प्रवाह पर प्रभाव:

- सामान्यत:, आरबीसी **डिस्क के आकार** की होती हैं और रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित होने के लिए पर्याप्त लचीली होती हैं।
- एस.सी.डी. से पीड़ित लोगों में **हीमोग्लोबिन एस** नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, जो आरबीसी को विकृत करके **दरांती** या **अर्द्धचन्द्राकार** आकार में बदल सकते हैं।
- ये **दरांतीनुमा लाल रक्त कोशिकाएं** आसानी से मुड़ती या हिलती नहीं हैं और शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती हैं। इससे ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है।

कारण:

- एस.सी.डी. का कारण एक दोषपूर्ण जीन है, जिसे **सिकल सेल जीन** कहा जाता है।
- एक व्यक्ति एस.सी.डी. के साथ तभी पैदा होगा जब उसे दो जीन विरासत में मिले हों - एक माता से और दूसरा पिता से।

लक्षण:

- ✓ **प्रारंभिक अवस्था:**
  - **एनीमिया के कारण अत्यधिक थकान या चिड़चिड़ापन, हाथ-पैरों में दर्दयुक्त सूजन, पीलिया**
- ✓ **बाद की अवस्था: गंभीर दर्द, एनीमिया, अंग क्षति, संक्रमण**

उपचार:

- ☑ **अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (स्टेम सेल प्रत्यारोपण):** एस.सी.डी. का उपचार हो सकता है।
- ☑ **संपूरक उपचार:** ऐसे उपचार उपलब्ध हैं जो लक्षणों से **राहत दिलाने, जटिलताओं** को कम करने और जीवन को लम्बा करने में मदद कर सकते हैं।
- ☑ **जीन थेरेपी:** जीन थेरेपी को भी एक अन्य संभावित इलाज के रूप में खोजा जा रहा है। हाल ही में, **ब्रिटेन** एस.सी.डी. के लिए जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी देने वाला **पहला देश** बन गया है।

राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्य योजना ट्रैकर
National Biodiversity Strategy and Action Plan Tracker

हाल ही में, **राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) ट्रैकर** ने यह जानकारी प्रदान की है कि केवल **10%** राष्ट्र **COP16** से पहले अपनी जैवविविधता प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाए हैं। यह ट्रैकर जैव विविधता के लक्ष्यों की प्राप्ति में देशों की प्रगति की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

NBSAP ट्रैकर के बारे में:

- ✓ **विकास:** NBSAP ट्रैकर को **विश्व वन्यजीव कोष (WWF)** द्वारा विकसित किया गया है।
- ✓ **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **जैव विविधता नीतियों** को सभी हितधारकों के लिए सुलभ बनाना है, साथ ही **COP16** के लिए देशों की तैयारी के दौरान **पारदर्शिता और जवाबदेही** सुनिश्चित करना है।
- ✓ **महत्व:** NBSAP देशों के लिए जैव विविधता के नुकसान से **निपटने और अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों** को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण **ब्लूप्रिंट** प्रदान करता है। इसका लक्ष्य पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई और धन जुटाना है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (जी.बी.एफ.):

- ☑ इसे **दिसंबर 2022** में जैव विविधता पर **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** के पक्षकारों के सम्मेलन या **COP15** की **15वीं बैठक** के दौरान अपनाया गया था।
- ☑ इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना और पूर्ववर्ती रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करना है।
- ☑ **भविष्य के लिए दृष्टिकोण:** यह **2050** तक प्रकृति के साथ **वैश्विक सामंजस्य** की दिशा में एक साहसिक मार्ग निर्धारित करता है।
- ☑ जी.बी.एफ. को अपनाते हुए, सभी दलों की समितियों ने इसे क्रियान्वित करने के लिए **राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित** किए।
- ☑ **लक्ष्य:** जी.बी.एफ. में **23 लक्ष्य (2030 के लिए निर्धारित)** और **चार वैश्विक लक्ष्य (2050 के लिए निर्धारित)** शामिल हैं।
- ☑ **उद्देश्य:** ये लक्ष्य जैव विविधता के लिए खतरों को कम करने, टिकाऊ उपयोग और **लाभ-साझाकरण** के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, तथा **कार्यान्वयन और मुख्यधारा** में लाने के लिए उपकरण और समाधान प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

निष्कर्ष: NBSAP ट्रैकर और **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास** के लिए महत्वपूर्ण पहल हैं। ये उपकरण न केवल देशों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए जिम्मेदारी और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देते हैं।

सरको पॉड क्या हैं?
What are Sarco pods?

हाल ही में **स्विट्ज़रलैंड** में 64 वर्षीय अमेरिकी महिला की मौत से जुड़े चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। महिला, जो एक **ऑटोइम्यून** स्थिति से पीड़ित थी, उसने आत्महत्या के लिए **'सरको पॉड'** नामक एक उपकरण का उपयोग किया गया था।

सरको पॉड के बारे में:

- ✓ **डिज़ाइन और उद्देश्य:** सरको पॉड एक **इच्छामृत्यु** उपकरण है, जिसे **शांतिपूर्ण और नियंत्रित** तरीके से आत्महत्या में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ✓ **निर्माता:** इसे ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक **डॉ. फिलिप निट्शके** ने बनाया है, जो इच्छामृत्यु समर्थक समूह एक्ज़िट इंटरनेशनल के संस्थापक हैं।
- ✓ **फिलॉसफी:** सरको पॉड **"सम्मान के साथ मृत्यु"** की अवधारणा के अनुरूप है, हालांकि इसकी कानूनी स्थिति विभिन्न देशों और क्षेत्रों में भिन्न होती है।
- ✓ **स्वायत्तता:** पॉड को परिवहन योग्य बनाया गया है, जिससे व्यक्ति बिना किसी **चिकित्सीय सहायता** के, स्वायत्तता से अपना जीवन समाप्त कर सकता है।

सरको पॉड की मुख्य विशेषताएँ:

- ☑ **डिज़ाइन:** यह एक **3D-मुद्रित, कैप्सूल के आकार का पॉड** है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा अंदर से सक्रिय किया जा सकता है।
- ☑ **क्रिया तंत्र:** पॉड में नाइट्रोजन भरकर ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम किया जाता है। इससे कुछ सेकंड के **भीतर बेहोशी** आ जाती है और कुछ ही मिनटों में **हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी)** के कारण शांतिपूर्वक मृत्यु होती है।
- ☑ **स्वायत्तता:** यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया को सक्रिय करने की अनुमति देता है, जिससे यह **इच्छामृत्यु की एक स्व-प्रशासित विधि** बन जाती है।
- ☑ **परिवहन योग्य:** इसे विभिन्न स्थानों पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे प्राकृतिक वातावरण में।
- ☑ **कानूनी और नैतिक विवाद:** सरको पॉड ने इच्छामृत्यु के नैतिक **निहितार्थ, उपकरणों की कानूनी स्थिति** और दुरुपयोग की चिंताओं पर विश्व स्तर पर बहस छेड़ दी है।

निष्कर्ष: सरको पॉड का **उपयोग और इच्छामृत्यु की अवधारणाएँ वैश्विक स्तर** पर महत्वपूर्ण चर्चाओं का विषय बन गई हैं। इस मामले में स्विट्ज़रलैंड में हुई हाल की घटना ने फिर से इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त **मृत्यु की कानूनी, नैतिक और सामाजिक जटिलताओं** पर ध्यान केंद्रित किया है।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Subject

- HISTORY ,POLITY
- GEOGRAPHY
- ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

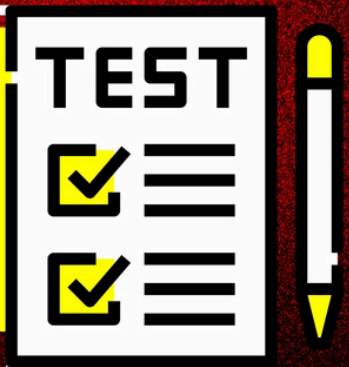

Only 99 Per Year

Buy Now